(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आय-कर

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख **20** अक्तूबर, 2015

का.आ. .....(अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड 47 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम 14 मई, 2015 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम 1962 में, नियम 2च में, उप नियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(1) अवसंरचना ऋण निधि की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना सं. डीएनबीआर 020/सीजीएम (सीडीएस)-2015, तारीख 14 मई, 2015 द्वारा यथासंशोधित तारीख 21 नवंबर, 2011 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस 233/सीजीएम (यूएस) - 2011 अवसंरचना विकास निधि, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां (रिजर्व बैंक) निवेश, 2011 द्वारा उपबंधित शर्तों को पूरा करते हुए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी के रूप में की जाएगी ।

(2) अवसंरचना ऋण निधि की निधियों का विनिधान केवल पश्च प्रचालन प्रारंभ अवसरंचना परियोजनाओं, जिन्होंने वाणिज्यिक प्रचालन का कम से कम एक वर्ष समाधानप्रद रूप से पूरा कर लिया है, जो निम्नलिखित हैं –

(i) लोक प्राइवेट सहभागिता परियोजनाएं और जो रियायतग्राही और परियोजना प्राधिकारी के साथ संदाय के अनिवार्य क्रय और समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए त्रिपक्षीय करार में एक पक्षकार है;

(ii) ऐसे सैक्टरों में जहां कोई परियोजना प्राधिकारी नहीं है, बिना किसी परियोजना प्राधिकारी के गैर-लोक प्राइवेट सहभागिता परियोजनाएं और लोक प्राइवेट सहभागिता परियोजनाएं' ।

(अधिसूचना सं..84...../2015/फा.सं. 133/43/2015-टीपीएल)

आर. लक्ष्मी नारायणन

(आर. लक्ष्मीनारायनन)
अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 2860(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2015 द्वारा संशोधित किए गए ।